अनुस्मारक -1

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर
दानापुर, दिनांक- 02 /04/2025

पत्र सं०-स्था०/वेतन विपत्र/विविध/2025

सर्व संबंधित,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर।

विषयः- मस्टर रौल, यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता, एवं मकान किराया भत्ता इत्यादि वेतन भुगतान से संबंधित सभी कागजात प्रत्येक माह के 08 (आठ) तारिख तक प्रेषित करने के संबंध में।
संदर्भः वरीय मंडल वित्त प्रबंधक / दानापुर का पत्रांक- 46/लेखा/स्था, दिनांक 02.01.2024 (संलग्न)

संदर्भित पत्र के आलोक में यह पुनः अवगत कराई जाती है, कि **नियमित वेतन से संबंधित सभी कागजात यथा मस्टर रौल, यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ता से संबंधित कागजात प्रत्येक माह के 08 (आठ) तारिख तक वेतन विपत्र अनुभाग (कार्मिक शाखा)/ दानापुर में निश्चित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें**, ताकि संदर्भित पत्र में उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जा सकें, विदित हो की यदि मास्टर रोल माह के 10 से12 तारीख के बीच इस कार्यालय को जमा किया जाता है तो मस्टर रोल पर वरीय शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत इस कार्यालय में जमा किया जायेगा। **ज्ञातव्य हो की CRIS/ NDLS के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के 20** तारीख तक **नियमित वेतन** लेखा विभाग को **विधिक्षा एव भुगतान हेतु** भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है **,जिस पर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की निगरानी रहेगी।**

अतः सभी शाखाधिकारी कृपया उक्त के अनुपालन हेतु अपने-अपने इकाई में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का प्रावधान करें, ताकि संदर्भित पत्र में दिये गये समय के अनुसार तथा **CRIS/ NDLS के निर्देशानुसार** वेतन विपत्र अनुभाग/दानापुर अपना कार्य सुनिश्चित करते हुए नियमित वेतन को समय से लेखा विभाग में भुगतान हेतु भेज सकें।

इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्नः- संदर्भित पत्र।

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर।

प्रतिलिपिः-1. वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी/ दानापुरः- सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2. वरीय मंडल वित्त प्रबंधक / दानापुरः- सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

कृते वरीय मंडले कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर।

कार्यालय
व.मं.वि.प्र
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पत्र संख्या:--46 / लेखा / स्था.

दिनांक : 02.01.2024

Sr.DPO/DNR, Sr.DEN(Co-Ord)/DNR
Sr.DSTE/DNR, Sr.DFM/DNR
Sr.DSC/RPF/DNR, DSC/RPF/DNR & RGD
APO/RRB/MHX
E.C.Railway

विषयः– **Salary passing & Change Card Vetting** के संबंध में।

हाल की विभिन्न मंडलों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी वेतन विपत्र बनाने वाले युनिटों को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे वेतन विपत्र को प्रत्येक माह के 20 तारीख तक लेखा विभाग को अवश्य प्रेषित कर दे। इससे लेखा विभाग में वेतन विपत्रों की जाँच हेतु पर्याप्त समय मिल सकेगा। जिससे दानापुर मंडल को किसी तरह की अनियमितताओं से बचाया जा सके।

अतः यह आवश्यक है कि वेतन विपत्र को 20 तारीख तक लेखा विभाग को प्रेषित करने से पूर्व Change Card Vetting से संबंधित सभी कार्य को प्रत्येक माह के 18 तारीख तक लेखा विभाग से अवश्य करवा लिया जाए जिससे समय से वेतन विपत्रों को भेजा जा सके। इससे लेखा विभाग को वेतन विपत्रों की जाँच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। 20 तारीख के बाद वेतन विपत्रों को इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जाऐगा।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

02.01.2024
वरीय मंडल वित्त प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल / दानापुर।